पत्र संख्या- विधि-4(1) -डीम्ड कर निर्धारण -2012-13/ 844 / **1213053** /वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश

(विधि अनुभाग)

लखनऊ::दिनांक:: सितम्बर , 05 2012

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर

समस्त ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक)

<u>वाणिज्य कर,उत्तर प्रदेश</u>

सभी अधिकारियों को अवगत कराना है कि वर्ष 2009-10 के वादों को डीम्ड कर निर्धारण की परिधि से बाहर करने की अवधि दिनांक 31-3-2012 को तथा ऐसे वादों को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने की अवधि भी दिनांक 31-8-2012 को समाप्त हो चुकी है । विभागीय वेबसाइट पर वर्ष 2009-10 के कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा डीम्ड कर निर्धारण की परिधि से बाहर किए गए वादों को इनके बाहर करने के कारणों सहित अपलोड कर दिया गया है तथा इसे अब कोई भी करदाता सहज ही वेबसाइट पर देख सकता है ।

2- उ0प्र0 वैट अधिनियम , 2008 की धारा-28 में कर निर्धारण अधिकारी को इस धारा के सुसंगत प्राविधानों के परिप्रेक्ष्य में कर निर्धारण की कार्यवाही करने के लिए अधिकृत किया गया है । इसके दृष्टिगत जिन वादों को कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा डीम्ड कर निर्धारण की परिधि से बाहर किए जाने का उल्लेख किया गया है तथा जिन्हें संबंधित ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) द्वारा अपने Log in पर जाकर इसकी पुष्टि नहीं की गयी है वह वाद भी उक्त विधिक प्राविधानों के संगत डीम्ड कर निर्धारण की परिधि के बाहर हो गए हैं । ऐसे अनेक प्रकरण प्रकाश में आए हैं जिनमें कर निर्धारण अधिकारियों ने वर्ष 2009-10 के वादों को डीम्ड कर निर्धारण की परिधि से बाहर करने की संस्तुति इनके कारणों सहित विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करके की गयी है परन्तु ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) द्वारा अपने Log in पर जाकर इनकी पुष्टि की कार्यवाही दिनांक 31-8-2012 तक नहीं की गयी है । इसे किसी भी दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता है । संबंधित ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर की यह जिम्मेदारी होगी कि वे इन अपुष्ट प्रकरणों का परीक्षण करते हुए यह सुनिश्चित करें कि इन्हें अकारण ही डीम्ड की परिधि के बाहर तो नहीं किया गया है । यदि अग्रेत्तर ऐसी कोई स्थिति प्रकाश में आती है तो संबंधित कर निर्धारण अधिकारी के साथ-साथ संबंधित ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) के विरुद्ध भी कार्यवाही की जाएगी ।

3- यदि अब कोई अग्रेत्तर ऐसा प्रकरण प्रकाश में आता है जिसमें कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वर्ष 2009-10 के वाद को अभिलेख पर अभी तक उपलब्ध कारणों से बाहर करने का उल्लेख वेबसाइट पर नहीं किया गया तो इस संबंध में संबंधित ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) ऐसे अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जोनल एडीशनल कमिश्नर के माध्यम से मुख्यालय भेजना सुनिश्चित करेंगे ।

4- मुख्यालय के परिपत्र सं0 आई0टी0-NICकम्प्यूटराइजेशनसाफ्टवेयर(डीम्ड क0नि0) / (2012-13) / 390 / 1213041 / वाणिज्य कर दिनांक 24 जुलाई , 2012 के प्रस्तर-4(ख) में निम्न वस्तुस्थिति स्पष्ट की जा चुकी है -

"(ख) सर्वर पर चिन्हांकित न हो सके दूसरे प्रकार के मामले ऐसे होंगे जो धारा-28(i)(b) (iv) से आच्छादित हैं तथा जिनमें अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी को यह निर्णय लेना है कि व्यापारी द्वारा वार्षिक रिटर्न में घोषित टर्न ओवर व कर के ऑकड़े विश्वसनीय हैं अथवा नहीं अथवा रिटर्न में क्लेम की गयी

आई0टी0सी0 अथवा कर की गणना सही है या नहीं । ऐसे मामलों में यदि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 31-03-2012 के पूर्व कोई निर्णय नही लिया गया है तो इनमें केवल धारा-29 के अन्तर्गत पुनर्करनिर्धारण की कार्यवाही अथवा

धारा-56 के अन्तर्गत पुनरीक्षण की कार्यवाही की जा सकती है। अत: समस्त कर निर्धारण अधिकारी दिनांक 31-08-2012 के पूर्व समस्त रिटर्नों की जॉच करके प्रकाश में आये तथ्यों का समुचित उल्लेख करते हुए धारा-29 अथवा धारा-56 के अन्तर्गत कार्यवाही किए जाने हेतु चिन्हित मामलों की सूची अपने ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) को प्रेषित करेंगे । ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) ऐसे सभी मामलों का गहन परीक्षण करेंगे एवं उनके संतुष्ट होने पर ही धारा-29 के अन्तर्गत पुनर्करनिर्धारण की कार्यवाही की जायेगी । धारा-56 के अन्तर्गत पुनरीक्षण हेतु उपयुक्त पाये गये मामलों में ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) द्वारा कर निर्धारण अधिकारी से समुचित प्रस्ताव प्राप्त कर स्वयं कार्यवाही की जायेगी ।"

5- उक्त वस्तुस्थिति के संबंध में यह भ्रान्ति अभिव्यक्त हुयी है कि धारा-27 में यह उल्लेख है कि " Subject to provisions of Section -28 " जिसका आशय यह है कि धारा-28 के प्राविधान धारा-27 पर Overriding Effeect रखते हैं तथा यदि कोई वाद धारा-28 (1) के निहित कारणों से डीम्ड एसेसमेंट से धारा-27 में वर्णित समयावधि के बाद भी बाहर हो रहा है तो उसके संबंध में करनिर्धारण की कार्यवाही धारा-28 में उल्लिखित समयावधि अर्थात कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति से अग्रेत्तर तीन वर्ष की अवधि के अन्तर्गत निष्पादित की जा सकती है । अत: वर्ष 2009-10 के जो वाद दिनांक 31-3-12 अर्थात धारा-27 की संगत वर्ष के लिए नियत समयावधि के बाद भी डीम्ड एसेसमेंट की परिधि के बाहर निकाले जायेंगे उनमें कर निर्धारण की कार्यवाही धारा-28 के अन्तर्गत ही की जाएगी तथा उनमें धारा-29 तथा धारा-56 के अन्तर्गत कार्यवाही किए जाने का जो उल्लेख उक्त परिपत्र के संदर्भित पैरा में किया गया है वह विधिसम्मत नहीं हैं ।

उक्त भ्रांति का कारण यह है कि कतिपय अधिकारियों द्वारा धारा-27 के प्राविधानों का उचित परिशीलन नहीं किया गया है । इस धारा में निम्न प्राविधान हैं -

27. Self assessment

(1) Subject to provisions of section 28, every dealer, who has submitted annual return of turnover and tax, in the prescribed form and manner, shall be deemed to have been assessed to an amount of tax admittedly payable on the turnover of purchase or sale or both, as the case may be, disclosed in such return, and to an amount of input tax credit shown admissible in the return.

(2) For all purposes under this Act and rules made thereunder -

(a) annual return of turnover and tax, referred to in sub-section (7) of section 24, submitted by a dealer, shall be deemed to be an assessment order and facts disclosed or figures mentioned in such return shall be deemed part of such assessment order; and

(b) last date of the assessment year succeeding the assessment year in which the date prescribed for submission of such annual return falls, shall be deemed to be the date of such assessment order.

उक्त प्राविधानों से निम्न तथ्य स्वत: स्पष्ट हैं----

(1) जिन प्रकरणों में धारा-28 के प्राविधान लागू होते हैं , उनके अतिरिक्त सभी मामलों में जो वार्षिक रिटर्न व्यापारी द्वारा किसी वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तुत की जाएगी वही ऐसे वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करने वाले वित्तीय वर्ष से अगले वित्तीय वर्ष की 31 मार्च को ऐसे व्यापारी का कर निर्धारण आदेश होगी तथा

ऐसी वार्षिक रिटर्न के निहित विवरण (Particulars) ऐसे कर निर्धारण आदेश का पार्ट होंगे । अर्थात वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिए जिन प्रकरणों को डीम्ड कर निर्धारण की परिधि से दिनांक 31-3-2012 तक बाहर नहीं

किया गया है उन सभी प्रकरणों में व्यापारी द्वारा प्रस्तुत वार्षिक रिटर्न दिनांक 31-3-2012 को संगत कर निर्धारण वर्ष 2009-10 के लिए कर निर्धारण आदेश होगी तथा ऐसे वार्षिक रिटर्न के विवरण (Particulars) ऐसे कर निर्धारण आदेश का पार्ट होंगे ।

(2) उक्त विधिक स्थिति से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि वर्ष 2009-10 के जिन मामलों को डीम्ड कर निर्धारण से बाहर किया जाना है , यह कार्यवाही दिनांक 31-3-2012 तक ही संभव थी क्योंकि इसके पश्चात यह रिटर्न ही संगत वर्ष के लिए कर निर्धारण आदेश हो जाएगी और यह स्वत: स्पष्ट है कि ऐसे मामलों में जबकि कर निर्धारण की कार्यवाही डीम्ड कर निर्धारण के रूप में हो चुकी होती है , तब धारा-28 के किसी भी प्राविधान के अन्तर्गत पुन: कर निर्धारण की कार्यवाही संभव नहीं रह जाती है ।

(3) धारा-28 के अन्तर्गत केवल उन्हीं मामलों में कर निर्धारण की कार्यवाही संभव है जिन्हें धारा 28(1) के विभिन्न विनिर्दिष्ट प्राविधानों के परिप्रेक्ष्य में धारा-27 की परिधि के बाहर कर दिया गया हो और जैसा कि स्पष्ट किया जा चुका है यह कार्यवाही डीम्ड कर निर्धारण आदेश की तिथि के पूर्व ही विधिअनुसार संभव है ।

(4) यदि डीम्ड कर निर्धारण की अवधि के बाद उन चिन्हित वादों को छोड़कर जिनमें डीम्ड कर निर्धारण आदेश धारा-27 के अनुसार निर्गत नहीं है , यदि कोई कार्यवाही की जानी है तो स्वाभाविक रूप से यह कार्यवाही धारा-29 या धारा-56 में ही संभव है क्योंकि ऐसे मामलों में डीम्ड कर निर्धारण की कार्यवाही हो चुकी होती है । अत: इस संबंध में कोई विवाद या अनिश्चितता या असमंजस की स्थिति नहीं होनी चाहिए ।

(5) **उक्त भ्रम की स्थिति को दूर करने के उद्देश्य से जिन प्रकरणों में डीम्ड कर निर्धारण के रूप में वार्षिक रिटर्न को स्वीकार किया जा चुका है उन वार्षिक रिटर्न पर निम्नानुसार मोहर लगाकर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया जाना अनिवार्य किया जाता है ताकि ऐसे प्रत्येक प्रकरण में यह स्पष्ट रहे कि उसमें डीम्ड कर निर्धारण की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है । यह मोहर प्रान्तीय तथा केन्द्रीय निस्तारण के परिप्रेक्ष्य में वार्षिक विवरणी पर जैसा भी प्रकरण हो , लगा दी जाएगी तथा इस आशय का उल्लेख व्यापारी की संगत वर्ष की कर निर्धारण पत्रावली के आदेश फलक पर भी कर दिया जाएगा । यह मोहर निम्नानुसार होंगी -**

<u>प्रान्तीय प्रकरण के लिए मोहर का प्रारूप :</u>

उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम , 2008 की धारा-27 के अन्तर्गत
संगत वर्ष के लिए कर निर्धारण आदेश के रूप में
घोषित स्वीकृत करदेयता सहित स्वीकार

ह0 कर निर्धारण अधिकारी

<u>केन्द्रीय प्रकरण के लिए मोहर का प्रारूप :</u>

केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम,1956 की धारा-9(2) सपठित
उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम , 2008 की धारा-27 के अन्तर्गत
संगत वर्ष के लिए कर निर्धारण आदेश के रूप में
घोषित स्वीकृत केन्द्रीय करदेयता सहित स्वीकार

ह0 कर निर्धारण अधिकारी

(6) यह भी स्पष्ट करना है कि जिन मामलों में व्यापारी द्वारा जो केन्द्रीय बिक्री दर्शायी है उसके संबंध में दर्शायी देयता के अनुसार कर जमा कर दिया है तथा केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत निहित सभी अपेक्षित फार्म प्रस्तुत कर दिए हैं उन प्रकरणों में भी डीम्ड कर निर्धारण की कार्यवाही विधिसम्मत है क्योंकि केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम , 1956 की धारा 9(2) के अन्तर्गत प्रान्तीय अधिनियम के प्राविधान तदनुसार लागू हैं । इसी कारण केन्द्रीय वादों के संबंध में उक्त मोहर लगाने के निर्देश निर्गत किए गए हैं ।

(7) केन्द्रीय वादों के जिन प्रकरणों में प्रश्नगत व्यापारियों द्वारा केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत प्रदत्त फार्म इस क्रम की घोषित बिक्री के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत नहीं किए जा सके हैं तथा इसके प्रतिफलन में देय स्वीकृत कर जमा नहीं किया गया है , उनके संबंध में नियमानुसार धारा-9(2) के अन्तर्गत व्यापारी को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए कर निर्धारण की कार्यवाही की जाएगी । यह कार्यवाही व्यापारी के यदि प्रान्तीय वाद में डीम्ड कर निर्धारण की कार्यवाही की जा चुकी हैं तो उससे पृथक होगी तथा इससे व्यापारी के प्रान्तीय वाद में डीम्ड कर निर्धारण की कार्यवाही पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । आशा है कि यह चिन्हीकरण भी सभी निर्धारण अधिकारियों द्वारा किया जा चुका होगा ।

उक्त कार्यवाही वर्ष 2009-10 तथा इसके अग्रेत्तर वर्षों के लिए तदनुसार निष्पादित की जाएगी ।

उक्त निर्देशों से अपने अधीनस्थ समस्त कर निर्धारण अधिकारियों को अवगत कराते हुए इनका अनुपालन कराना सुनिश्चित करें ।

(हिमांशु कुमार)
कमिश्नर वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश